



**कुशल युवा प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र**

निबंधन संख्या .

कार्यालय द्वारा भरा जायेगा

1. आवेदक का नाम –

2. आवेदक के पिता / पति का नाम –

3. \*लिंग – पुरुष  महिला  तृतीय

पासपोर्ट साइज फोटो

4. जन्म तिथि –

5. आवासीय पता –

6. कोटि – (1) अनुसूचित जाति  (2) अनुसूचित जनजाति  (3) अति पिछड़ा वर्ग   
(4) पिछड़ा वर्ग  (5) सामान्य

7. आधार कार्ड संख्या –

यदि आधार कार्ड नहीं मिला है तो उसकी पंजीयन संख्या (EID NO.)-

8. बैंक की विवरणी –

(1) बैंक एवं शाखा का नाम –

(2) खाता संख्या –

(3) IFSC कोड –

9. मोबाइल न० –

10. ई० मेल आई० डी० –

11. शैक्षणिक योग्यता –

परीक्षा उत्तीर्ण	विद्यालय – संस्थान का नाम	बोर्ड परिषद् का नाम	परीक्षा का अनुक्रमांक	उत्तीर्ण होने का वर्ष
इंटरमीडिएट (१२ वी)				

\* जो लागू हो उसे  कर दें।

12. कुशल युवा प्रशिक्षण हेतु केंद्र के चयन का विकल्प –

(1) प्रशिक्षण हेतु प्रथम प्राथमिकता –	जिला का नाम	<input type="text"/>
	प्रखंड का नाम	<input type="text"/>
(2) प्रशिक्षण हेतु द्वितीय प्राथमिकता –	जिला का नाम	<input type="text"/>
	प्रखंड का नाम	<input type="text"/>
(3) प्रशिक्षण हेतु तृतीय प्राथमिकता –	जिला का नाम	<input type="text"/>
	प्रखंड का नाम	<input type="text"/>

**आवेदक की घोषणा**

1. मैं घोषणा हूँ कि मेरी आयु आवेदन की तिथि को १५ से २५ वर्ष के बीच है ।
2. मैं बिहार का/की स्थायी निवासी हूँ।
3. शैक्षणिक योग्यता , आयु , बिहार के स्थायी निवासी एवं बैंक में खाता होने के संबंध में मेरे द्वारा स्वभिप्रमाणित (1) इंटरमीडिएट का प्रमाण – पत्र (2) मैट्रिक का प्रमाण – पत्र (3) स्थायी आवासीय प्रमाण – पत्र एवं (4) आधार कार्ड की छायाप्रति आवेदन के साथ सलग्न कर दिया गया है ।
4. मैं घोषणा हूँ की इस आवेदन में मेरे द्वारा अंकित सभी सूचनाये सही है । यदि कोई सूचना जाँच के क्रम में गलत पायी जाती है तो इसके लिए मेरे विरुद्ध राज्य सरकार कानूनी कार्रवाई कर सकती है ।

**कुशल युवा प्रशिक्षण से सम्बंधित घोषणा**

8. मैं वचन हूँ कि कुशल युवा प्रशिक्षण के लिए चयनित होने पर –
  - (1) सभी प्रशिक्षण सत्रों / कक्षाओं में उपस्थित
  - (2) अनुशासित होकर प्रशिक्षक के अनुदेशों का पालन
  - (3) सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण एवं
  - (4) जबतक उक्त शर्तों एवं निर्धारित मापदंडों के अनुरूप प्रशिक्षण पूर्ण नहीं मुझे सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होगा ।

**आधार कार्ड के उपयोग से सम्बंधित घोषणा**

- मैंने अपना आधार संख्या समर्पित किया है एवं मैं स्वेच्छापूर्वक सहमति हूँ कि –
- (1) यु०आई० डी०ए०आई० भारत सरकार द्वारा निर्गत आधार / यु०आई० डी० संख्या को मेरे नाम से संधारित आवेदन में वर्णित बैंक खाता संख्या के साथ जोड़ा जाय ।
  - (2) इसे एन०पी०सी०आई० ( National Payments Corporation of India ) में दर्ज किया जाय ,ताकि सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी०बी०टी०) योजना के तहत कोई लाभ मेरे उक्त बैंक खाते में प्राप्त हो सके मैं हूँ कि यदि एक से अधिक प्रकार का लाभ बकाया हो तो मैं उस लाभ को इसी बैंक खाते में प्राप्त करना ।
  - (3) यु०आई० डी०ए०आई० द्वारा प्रदत्त आधार संख्या को मेरी पहचान को प्रमाणित एवं स्थापित करने में उपयोग किया जाय ।
  - (4) मेरे द्वारा आवेदन में अंकित मोबाइल संख्या को एस०एम०एस अलर्ट हेतु उपयोग में लाया जाय ।
  - (5) मैं हूँ कि आधार संख्या के बारे में मेरे द्वारा जो उपर्युक्त सूचना इसके साथ उपलब्ध करायी गयी है , उसे उपरोक्त कार्य या कानूनी जरूरतों के अन्यथा उपयोग में नहीं लाया जायेगा ।

स्थान –

तिथि –

आवेदक / आवेदिका के हस्ताक्षर

## महत्वपूर्ण अनुदेश -

1. ऑनलाइन आवेदन जमा करने के पश्चात् जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र द्वारा आपको निबंधन केंद्र पर आने की तिथि एवं समय E-mail तथा SMS द्वारा सूचित किया जायेगा। निर्धारित तिथि एवं समय पर इस आवेदन पत्र पर अपना फोटो चिपकाकर एवं हस्ताक्षर कर निम्न कागजातों की मूल प्रति एवं स्वभिप्रमाणित प्रति के साथ जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र पर उपस्थित होना है -

- (1) 12वीं कक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णता संबंधी प्रमाण - पत्र
- (2) 10वीं कक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णता संबंधी प्रमाण - पत्र जिसमें आवेदक की जन्मतिथि वर्णित हो
- (3) आवासीय प्रमाण - पत्र
- (4) किसी अनुसूचित बैंक में (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक छोड़कर) आवेदक के नाम से संधारित बैंक खाता संख्या तथा बैंक पासबुक की प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति जिसमें आवेदक का नाम, पता, बैंक खाता संख्या तथा सम्बंधित बैंक शाखा का IFSC कोड स्पष्टतः अंकित हो।
- (5) आधार कार्ड / आधार कार्ड की पंजीयन संख्या (EID) की पावती

2. किसी भी प्रकार की जानकारी / सहायता हेल्पलाइन न० 1800 3456 444 से प्राप्त किया जा सकता है।

## पावती रसीद

श्री/श्रीमती/सुश्री.....से कुशल युवा प्रशिक्षण हेतु दिनांक ..... को सभी वांछित अनुलग्नकों सहित आवेदन पत्र प्राप्त किया, जिसका निबंधन संख्या ..... है। बैंक खाता को आधार संख्या से जोड़ने पर इसकी सूचना आपको भेजी जाएगी।

प्राप्तकर्ता का पूर्ण हस्ताक्षर एवं मुहर

नोट - मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना (SHA) एवं कुशल युवा कार्यक्रम (KYP) के आवेदक Online आवेदन जमा करने के 30 दिनों के अंदर किसी भी कार्य दिवस पर (10am - 6pm), जरूरी प्रमाण पत्रों के साथ जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र (DRCC) पहुंच कर प्रमाण पत्रों का सत्यापन करवाना सुनिश्चित करें